अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या–..... 04.....सन् 2015–16

केश का प्रकार .....बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकार– **नथुनी राउत** प्रतिपक्षीः– **गौड़ी देवी**

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर अर्जीकारः–नथुनी राउत पेसर स्व0 गुलाई राउत, निवाासी मोहल्ला महाराजगंज अंदर टाउन मधुबनी वार्ड नं. 13 मधुबनी प्रतिपक्षीः– श्रीमती गौड़ी देवी दोख्तर स्व0 गुलाई राउत निवासी मोहल्ला महाराजगंज अंदर टाउन मधुबनी वार्ड नं. 13 मधुबनी	आदेश पर की गई कार्रवाई
8.10.18	प्रस्तुत वाद आवेदक के आवेदन पर प्रारम्भ करते हुये दोनों पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। दोनों पक्षों की ओर से अपना–अपना पक्ष रखा गया। वाद आदेशार्थ रखा गया। **<u>आवेदक द्वारा प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–</u>** 1– प्रश्नगत भूमि मोहल्ला महाराजगंज अंदर नगरपरिषद मधुबनी वार्ड नं. 13 थाना वो जिला–मधुबनी में अवस्थित खेसरा संख्या–3763 वो 3764 वो 3765 रकवा 19 धुर 53 धुरकी मकान मय सहन वगैरह है जिसका जमाबंदी नम्बर 280 आवेदक नथुनी राउत वो आवेदक के भाई सत्यनारायण राउत के नाम से कायम है। सत्यनारयण राउत नौकरी में हैं इसलिए बड़े भाई की हैसियत से वाद दायर किये हैं। 2–आवेदक के पिता वर्ष 1988 में पत्नी पार्वती देवी वो दो पुत्र नथुनी राउत वो सत्यनारायण राउत वो चार पुत्री उर्मिलादेवी, गौड़ी देवी (विपक्षी) फुलो देवी एवं इंदिरा देवी को छोड़कर स्वर्गवासी हो गई। पत्नी पार्वती देवी भी वर्ष 1994 में स्वर्गवाासी हो गई। 3– पिता की भूमि पर दोनों भाई दखलकार हुये जिसका जमाबंदी 280 कायम हुआ। 4– विपक्षी गौड़ी देवी बिहार गृह रक्षा वाहिनी में नौकरी करती हैं जो इस भूमि पर दावा करने लगी अन्य बहनें अपने ससुराल में रहती हैं। उन बहनों को उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। 5– इस बीच उक्त जमाबंदी में से 05 (पॉच) धूर का विपक्षी के नाम खारिज होने के कारण आवेदक को रसीद नहीं काटा गया। दाखिल खारिज गलत ढ़ंग से किया गया है राजस्व कर्मचारी ने विपक्षी गौड़ी देवी को बटवारा से पाप्त दर्शाते हुये दाखिल खारिज का प्रतिवेदन दे दिया जो कि बिल्कुल ही गलत है जबकि आवेदक, उनके भाई एवं बहनों के बीच कोई बटवारा नही हुआ है। दाखिल खारिज वाद **संख्या–823/2005–06** में आवेदक, उनके भाई को कभी कोई सूचना नहीं दी गई और जमाबंदी नं. 543 गौड़ी देवी के नाम कायम कर दिया गया जो हर तौर पर गलत है। 6– अतः जमाबंदी संख्या–543 बनाम विपक्षी को खारिज करते हुये मूल जमाबंदी संख्या–280 में रकवा को संधारित करने का आदेश दिया जाय। **<u>विपक्षी द्वारा प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–</u>** 1– विपक्षी के नाम दाखिल खारिज केस संख्या– 823/2005–06 में अंचल अधिकारी द्वक्षरा पारित आदेश के आधार पर विपक्षी के नाम से जमाबंदी संख्या–543	

कायम हुआ। दाखिल खारिज केस में पारित किसी आदेश के विरूद्ध दाखिल खारिज अपील करने का प्रावधान है। जमाबंदी रद्दीकरण का वाद आवेदन खारिज होने योग्य है।

2– आवेदक एवं विपक्षी एक ही पिता के पुत्र/पुत्री हैं। पिता–माता के देहान्त के बाद उनके सभी पुत्र पुत्रियों का कानूनन हकीयत है। अन्य बहनों को पिता–माता की सम्पत्ति से कोई सरोकार नहीं रहा क्योंकि वे अपने ससुराल में रहती हैं। इसलिए अपने पूर्वज की सम्पत्ति में पुत्री होने के नाते उनका भी हक है इसलिए उनके नाम दाखिल खारिज कर जमाबंदी कायम कर दिया गया, जो सही है। विपक्षी के नाम से नगर परिषद में होल्डिंग भी कायम है जिसका टैक्स अदाय किया जा रहा है तथा मालगुजारी भी विपक्षी अदा कर रही हैं।

अतएव आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाय।

निष्कर्ष :–

आवेदक का आवेदन, एवं लिखित बहस, प्रतिपक्षी का प्रत्युत्तर का अवलोकन किया। इस बात को दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं कि आवेदक एवं विपक्षी दोनों सहोदर भाई–बहन हैं। माता–पिता की सम्पत्ति में पुत्र/पुत्री के अधिकार के संबंध में निर्णय इस न्यायालय से सम्भव नहीं है। इस हेतु विधिवत् सिविल न्यायालय में बटवारा सूट से निर्णय प्राप्त किया जाना उचित होगा।

वैसे भी आवेदक का आवेदन **दाखिल खारिज वाद संख्या–823/2005–06 के विरूद्ध है।** बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–7 में अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज वाद में पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई हेतु अपीलीय प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय है। इसी ऑबजर्वेशन के साथ आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुये वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, रहिका को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजें। अंचल अधिकारी अपने स्तर से दोनों पक्षों को आदेश से अवगत करा दें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

8.10.18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

8-10-18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।